रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062020-220185
CG-DL-E-26062020-220185

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1837] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2020/आषाढ़ 5, 1942
No. 1837] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2020/ASADHA 5, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2074(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 2721 (अ) तारीख 29 जुलाई 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -2 खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 547-ई के 0.000 कि.मी. से 33.000 कि.मी. तक के भूखण्ड (साओनेर-धापेवाडा-कलमेष्वर-गोंडखैरी सेक्षन) के निर्माण (चौड़ा करने /चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है. के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी; और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन 29 अगस्त 2019 तारीख को "नवराष्ट्र" (मराठी) और "नवभारत" (हिंदी) दोनो में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम अधिकारी ने उस पर विचार कर लिया है और आक्षेपो का अननुज्ञात कर दिया है:

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी को उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य कें नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 547-ई कें कि.मी 0.000 सें 33.000 तक (सावनेर-धापेवाडा-कलमेश्वर-गोंडखैरी खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		**जिले का नाम: नागपुर**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कलमेश्वर				
	गांव का नाम: घोरद				
1	259/A , 259/B	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.03	राजीवरत्न रविंद्रकुमार जैन (एच.यु.एफ) तर्फे राजीवकुमार रविंद्रकुमार जैन (259/अ)
2	259/A , 259/B	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.1	राजीवरत्न रविंद्रकुमार जैन (एच.यु.एफ) तर्फे राजीवकुमार रविंद्रकुमार जैन (259/ब)
			कुल	**0.13**	

[फा. सं. NH-12037/84/2015-MAH-2/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2074(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. No. 2721 (E), dated the 29th July 2019, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four- laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 547-E, in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 33.000 (Saoner-Dhapewada- Kalmeshwar- Gondkhairi Section) in the District of Nagpur in the state of Maharashtra. Hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Navbharat" (Hindi) and "Navrashtra" (Marathi) both dated 29th August 2019, under sub- section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority:

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km.33.000 (Saoner- Dhapewada-Kalmeshwar-Gondkhairi Section) on the National Highway No.547-E in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		**District: NAGPUR**			
Sl. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kalameshwar				
	Viilage: Ghorad				
1	259/A , 259/B	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.03	Rajivratna Ravindrakumar Jain (HUF) through Rajivkumar Ravindrakumar Jain 259/A
2	259/A , 259/B	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.1	Rajivratna Ravindrakumar Jain (HUF) through Rajivkumar Ravindrakumar Jain 259/B
			TOTAL	**0.13**	

[F. No. NH-12037/84/2015-MAH-2/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.26 19:20:54 +05'30'